आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020–21/2277 दिनांक– 03/02/2021

आदेश

वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से ऑनलाईन विभागीय वेबसाईट hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण, आवेदन पत्र भरने, शिक्षण महाविद्यालय को प्राप्त समस्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच उपरान्त स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित महाविद्यालयों द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन (Forward) करने एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त पात्र आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी कर, स्वीकृतशुदा आवेदन पत्रों का संबंधित विद्यार्थियों का जन आधार कार्ड (जनआधार पोर्टल) में अंकित बैंक खातों में ऑनलाईन भुगतान करने आदि के लिये निम्नानुसार तिथियां प्रस्तावित की जाती है :–

क्रसं	विषय वस्तु/छात्रवृति का नाम	निर्धारित तिथियां
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना– वर्ष–2020–21 के नियम,शर्ते इत्यादि विभागीय वेबसाईट hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर जानकारी प्राप्त कर नीचे दी गई तिथि एवं दिशा निर्देश अनुरूप ऑनलाईन आवेदन करें।	–
2	उक्त छात्रवृति हेतु राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों का पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण, प्रोफाईल अपडेशन एवं उनके अधीन समस्त महाविद्यालय का पंजीयन/पाठ्यक्रम सत्यापन अनुमोदन करने एवं विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाईन आवदेन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन भरने के लिये ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि	29 अक्टूबर 2020 से प्रारम्भ
3	उपर्युक्त छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिये छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के लिये पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की अंतिम तिथि	28 फरवरी 2021 तक
4	महाविद्यालयों को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पात्र आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (प्राचार्य, जिला नोडल अधिकारी) को फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि	04 मार्च 2021

समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि योजना के आवेदन पत्र ज्यों–ज्यों ऑनलाईन फारवर्ड होकर विद्यार्थियों से प्राप्त हों उसी अनुरूप जाँच, अनुमोदन पश्चात् जिला नोडल अधिकारी को प्राप्ति दिवस को ही फारवर्ड करने की व्यवस्था करायें।

जिला नोडल अधिकारियों द्वारा महावद्यिालय से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होते ही उसके जाँच, अनुमोदन इत्यादि करें तथा बजट की आवश्यकता हो तो मेल आईडी **sch.cce@rajasthan.gov.in** पर बजट प्राप्ति हेतु पूर्ण विवरण यथा पूर्व के बकाया आवेदन पत्रों की संख्या, वर्ष 2020–21 में प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा वांछित राशि अंकित कर पत्र–प्रेषण की कार्यवाही करें जिससे आपको तत्काल बजट ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जा सकें।

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/

Scanned with CamScanner

दिनांक 15 फरवरी 2021 से आवश्यक रूप से विद्यार्थियों की छात्रवृति स्वीकृत कर बिल कोषालय से पारित कराकर राशि हस्तान्तरण इत्यादि की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की कोताई पर नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

योजना में ऑनलाईन छात्रवृति आवेदन पत्रों की जाँच भली–भाँति पूर्वक कर ही भुगतान की कार्यवाही करें। अपात्र विद्यार्थी को गलत भुगतान पाये जाने पर नियमानुसार संबंधित के विरूद्ध (प्राचार्य/प्रभारी छात्रवृति) कार्यवाही की जावें।

प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि निजी महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की किसी भी माह में आकस्मिक रूप से औचक निरीक्षण कर उपस्थिति का स्वयं/प्रतिनिधि से भौतिक सत्यापन करावें। जिससे की अपात्र/अनियमित भुगतान को रोका जा सकें।

आयुक्तालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना अनुरूप कार्य करें। विद्यार्थी द्वारा जनआधार कार्ड बनवाने की रसीद के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार किया जावें।
छात्रवृति पोर्टल 2020–21 पर उपर्युक्त छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु शीर्ष महाविद्यालयों एवं विद्यार्थियों के लिए दिशा–निर्देश :– राज्य में स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर एस.एस.ओ. (single sign on) आई.डी. के द्वारा पंजीकरण करने के उपरान्त, संस्थाओं की प्रोफाईल अपडेशन, पाठ्यक्रम मैंपिग आदि अनुमोदन करवाना आवश्यक है।

1. राज्य में स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर एस.एस.ओ. (single sign on) आई.डी. के द्वारा पंजीकरण करने के उपरान्त, संस्थाओं की प्रोफाईल अपडेशन, पाठ्यक्रम मैंपिग आदि कर उससे संबंधित शीर्ष संस्था को (Higher Authority) को ऑनलाईन फारवर्ड कर उससे संबंधित शीर्ष संस्था से ऑनलाईन सत्यापन/अनुमोदन करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में विद्यार्थियों को छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवदन पत्र भरने के लिए छात्रवृति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान प्रदर्शित नहीं होगा।
2. क्र.सं.–1 पर अंकित छात्रवृति समस्त को देय है। विस्तृत विवरण हेतु hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर जानकारी प्राप्त करें।
3. आय का घोषणा पत्र एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता–पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, माता–पिता एंव संरक्षक तीनों ही नहीं होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा एवं माता–पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र/फार्म नं. 16/आयकर रिटर्न स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
4. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाऐं जैसे–नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि जनआधार पोर्टल से ली जा रही है। आपके शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनआधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताविक परिवर्तन कराना चाहता है तो जनआधार पोर्टल में अंकित सूचना में जनआधार पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/

Scanned with CamScanner

5. विद्यार्थी की छात्रवृति राशि जनआधार पोर्टल में अंकित विद्यार्थी के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। जनआधार पोर्टल में विद्यार्थी के नाम सामने विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या नहीं होने की स्थिति में जनआधार कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है तो विद्यार्थी को जनआधार पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा।
6. विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्थान को दी गई फीस की मदों का पूर्ण विवरण छात्रवृति पोर्टल पर अंकित करवाना होगा तदुपरान्त नियमानुसार छात्रवृति स्वीकृत की जा सकेगी।
7. विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. उक्त योजनान्तर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों/राज्यवित्त पोषित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र, विद्यार्थी जिस जिले में अध्ययनरत है उस जिले के स्वीकृतकर्ता प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी को ऑनलाईन फॉरवर्ड किए जाऐगें।

03/02

(संदेश नायक, आई.ए.एस)
आयुक्त
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020–21/2278-2302 दिनांक– 03/02/2021

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, (माध्यमिक/प्राथमिक) जयपुर।
8. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेरं।
10. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर।
11. निदेशक विशेष योग्यजन, जयपुर।
12. निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर।

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/

Scanned with CamScanner

14. निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
15. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान।
16. जिला कलेक्टर (समस्त)
17. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
18. संयुक्त निदेशक (अकादमिक), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर, जयपुर।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (समस्त)
20. समस्त कोषाधिकारी राजस्थान।
21. रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर/कोटा विश्वविद्यालय कोटा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर/श्री भृतहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर/ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर, गोविन्द गुरू जनजाति विश्वविद्यालय, बासवाड़ा, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय समस्त राजस्थान।
22. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक,राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल,(समस्त) समस्त राजस्थान।
23. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को उपरोक्तानुसार बेवसाइट पर अपलोड करवाने।
24. सहायक निदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
25. प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी, समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय राजस्थान को समयबद्ध कार्यक्रम अनुरूप ऑनलाईन आवेदन जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(एच.आर.पवार)
वित्तीय सलाहाकार

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/

Scanned with CamScanner